न्यायालय – जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–द्वितीय, गया

अग्रिम जमानत आवेदन संख्या -2612/2026

फतेहपुर थाना काण्ड संख्या–319/2026

पीठासीन पदाधिकारी– राजेश सिंह

1.मोती साव उर्फ मोती कुमार, उम्र–35 वर्ष,
2.सीताराम प्रसाद गुप्ता, उम्र–39 वर्ष, दोनों पिता–स्व0 अंगनू साव
दोनों निवासी–बाघी, थाना–फतेहपुर, जिला–गया
दोनों वर्तमान निवासी–रूपसपुर मानपुर, थाना–बुनियादगंज, जिला–गया

————अभियुक्तगण

बनाम

बिहार सरकार ——— ————————————————————————अभियोजन

आवेदकगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता –श्री प्रदिप कुमार

अभियोजन की ओर से विद्वान अपर लोक अभियोजक–श्री मदन मोहन शर्मा

20.07.2026 आवेदक /अभियुक्तगण की ओर से फतेहपुर थाना काण्ड संख्य–319/2026 अन्तर्गत धारा–126(2),115(2),74,352 बी0एन0एस0 में प्रस्तुत अग्रिम जमानत आवेदन पर उभय पक्ष को सुना।

आदेश

अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता का कहना कि आवेदक निर्दोष है, उन्हें झूँठे मामला में फंसाया गया है। इन्होनें कोई अपराध कारित नहीं किया है। इसके पूर्व आवेदक की ओर से कोई अन्य जमानत आवेदन माननीय उच्च न्यायालय, पटना या अन्य किसी वरीय न्यायालय में संस्थित नहीं किया है। प्राथमिकी के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि कथित घटना कपोल–कल्पित एवं मनगढन्त है। इस झूँठे वाद में हम लोगों को गिरफ्तारी की आशंका है। हम लोग समुचित बंध–पत्र देने को तैयार है। अतः न्यायालय से अनुरोध है कि हम लोगों को अग्रिम जमानत देने की कृपा की जाय।

विद्वान अपर लोक अभियोजक उपस्थित हुए। उनका कहना है कि अभियुक्तगण को अग्रिम जमानत नहीं दी जाय, क्योंकि इन लोगों ने अजमानतीय अपराध कारित किया है।

अभिलेख का अवलोकन किया। अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदकगण पर आरोप है कि इन लोगों दिनांक–08.06.2026 को सुबोदरा के घर में घुसकर उसके साथ अभद्र व्यवहार करने लगे। जब वह चिल्लाई तो उसके पति पंकज साव बचाने के लिये आये तो अभियुक्तगण ने लोहे के रॉड से मारा जिससे सूचिका के पति के हथेली फट गया और फैट–मुक्का से चेहरे पर मारा जिससे चेहरे पर चोट आयी। कांड दैनिकी का अवलोकन किया। अवलोकन से स्पष्ट है कि सूचिका के पति को कारित उपहति साधारण प्रकृति की है। आवेदकगण का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। इसलिये अभिलेख

न्यायालय – जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–द्वितीय, गया

<u>अग्रिम जमानत आवेदन संख्या -2612/2026</u>

पर उपलब्ध तथ्यों, साक्ष्यों एवं परिस्थितियों पर विचार करने में पश्चात इनके अग्रिम जमानत आवेदन को स्वीकृत किया जाता है। तद्नुसार इस आदेश प्राप्ति की तिथि से 15 दिनों के अन्दर अभियुक्तगण द्वारा निम्न न्यायालय में आत्मसमर्पण करने या पुलिस द्वारा गिरफ्तार किये जाने पर उन्हें 10,000/–रुपये के दो समान राशि के जमानतदारों द्वारा बंध–पत्र दाखिल करने पर धारा–482(2) बी0एन0एस0एस0 का अनुपालन करने पर अग्रिम जमानत पर मुक्त किये जाने आदेश दिया जाता है।

लेखापित
Sd/-
राजेश सिंह
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश– II,
गया